



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या:-2040-पें०एवंआर०-28/पाकालि/11

दिनांक: 14 जूलाई, 2011

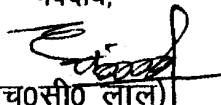
समस्त प्रबन्ध निदेशक डिस्काम, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/
मेरठ/केस्को/ट्रान्सको, लखनऊ।
समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/
ट्रांसको/डिस्काम्स, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/
मध्यांचल।

विषय:- पेंशन प्रपत्रों के समय पर प्रेषण के सम्बन्ध में।

विभिन्न स्तरों से यह तथ्य कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर नैवृत्तिक लाभ स्वीकृत करने हेतु उ०प्र० कारपोरेशन लि० पेंशन के मामलों का प्रस्तुतीकरण निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन नियमावली-2001 जो कारपोरेशन के आदेश सं०-135-विनियम-23/पाकालि-2001-5-विनियम/09, दिनांक 20.07.2001 द्वारा परिचालित की गयी है, के साथ संलग्न अनुसूची के बिन्दु 4 (क) के द्वारा पेंशन प्रपत्रों के भरे जाने की समय सीमा तथा कार्य के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है तथा परिषद/कारपोरेशन के आदेश संख्या-623-पेंशन-31/राविप/97-49पी/89 दिनांक 21.05.1997 एवं आदेश संख्या-1347-पें०एवंआर०-28/पाकालि/2001-49पी/89 दिनांक 14.05.2001 के द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्त नोटिस के साथ पेंशन प्रपत्रों की तीन-तीन प्रतियाँ देकर व उनसे भरवाकर उनकी सेवानिवृत्त की तारीख से पहले उसकी आठ महीने की सेवा अवधि के प्रथम मास में प्राप्त कर लिये जाये, के आदेश भी निर्गत किये गये हैं परन्तु उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतः सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा पेंशन प्रपत्रों में विलम्ब होने की दशा में बिलम्ब करने वाले कार्मिक/अधिकारी की वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिका में प्रविष्टि किये जाने एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों को कारपोरेशन की वेब साइट पर उपलब्ध कराने तथा उपरोक्त कारपोरेशन के निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिये गये हैं जिससे पेंशनरी देयों की स्वीकृति एवं भुगतान ससमय से सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,


(एच०सी० लाल)

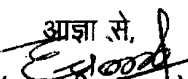
अनु सचिव (पें०एवंआर०)

संख्या : 2040(1)पें०एवंआर०-28/पाकालि/11 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कारपोरेशन मुख्यालय/केन्द्रीय लेखा कार्यालय, शक्ति भवन (मु०)/विस्तार स्थित समस्त लेखाधिकारी।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०/डिस्काम/ट्रांसको/केस्को।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०/डिस्काम/ट्रांसको/केस्को।
4. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०/डिस्काम/ट्रांसको/केस्को।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को तथा संलग्न पेंशन प्रपत्रों को उ०प्र०पा०का०लि०, की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

माई कम्प्यूटर/डी/वैक आप माई डाक्यूमेंट/पेंशन/lalsir

आज्ञा से,

(एच०सी० लाल)

अनु सचिव (पें०एवंआर०)